राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक :– एफ–7(   )रालसा / जे.एस. / संस्था–DLSA सीकर / 2018 / 5085   दिनांकः– 4/5/18

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
सीकर।

विषयः– तालुका विधिक सेवा समितियों पर सचिव के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारी को मानदेय के भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः– आपके कार्यालय का पत्र कमांक 2013 दिनांक 12.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 15 के अनुसार " तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के अधीन कार्य करने वाला कोई पदधारी तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा तो उसे उसके कार्य के अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए उसे 250/– रू. प्रतिमाह का मानदेय संदत्त किया जायेगा जिसे राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य प्राधिकरण द्वारा समय समय पर पुनरीक्षित किया जायेगा"।

अतः उक्त संबंध में अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा यह पुष्टि की जानी अपेक्षित है कि कार्मिक न्यायिक कर्मचारी हो और अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किया गया हो, जिसकी अवधि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो, तदुपरान्त इस सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति जारी कर मानदेय भुगतान की कार्यवाही की जावे।

भवदीय,
(एस.के.जैन) 4/5/18
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक :–   दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।
3. उप सचिव (एक्शन प्लान एण्ड एडीआर) को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।

संयुक्त सचिव 4.5.18.

C-1-//D/Pratibha/Esst. Work/RakeshJi/Misc./Misc. Letter